तारांकित प्रश्न संख्या 2408/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा श्री हीरालाल नागर, माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :-

1. क्या यह सही हैं कि सरकार के मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान के आदेश कमांक 638 दिनाँक 05.11.2012 के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत किसी भी कार्मिक को पदविरूद्ध/प्रतिनियुक्ति/कार्यसंपादन व्यवस्था के तहत मूल पदस्थापन स्थान के अलावा अन्यत्र नही लगाने बाबत तथा इस आशय का प्रमाण पत्र जिला कलक्टर व निदेशालय को उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज व संलग्न चिकित्सालय जिला चिकित्सालय (सीएमएचओ/पीएमओ/बीसीएमओ) से प्राप्त प्रमाणपत्रों की प्रति तथा एवं जिलेवार अस्पताल एवं प्रभारी अधिकारी के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

2. प्रदेश में समस्त मेडिकल कॉलेज व संलग्न चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय (सीएमएचओ/पीएमओ/बीसीएमओ) की सूची तथा अधीक्षक/सीएमएचओ/पीएमओ/बीसीएमओ/प्रभारी अधिकारी का नाम जिनके द्वारा उक्त अपेक्षित प्रमाण पत्र उपलब्ध नही करवाये गये। उक्त चिकित्सालयों में दिनांक 05.11.2012 के बाद से आज दिनांक तक पदविरूद्ध/प्रतिनियुक्ति/कार्यसंपादन व्यवस्था के तहत मूल पदस्थापन स्थान के अलावा अन्यत्र कार्यरत कार्मिकों की सूची तथा मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर की गई विभागीय कार्यवाही का मय दिनांक सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

अति आवश्यक
विधान सभा /आज ही

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/वि.सभा/2014/1075 दिनाँक : 27/8/14,

प्रतिलिपी :
1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन– राजस्थान को प्रेषित कर लेख हैं कि **उक्त तारांकित प्रश्न प्रतिउत्तर आप अपने स्तर से तैयार कर पूर्ण विवरण सहित तत्काल ई–मेल आई.डी. add4ng@gmail.com तथा दिनाँक 28.08.2014 तक व्यक्ति विशेष के साथ** अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चत करें।
3. समस्त संबंधित प्रभारी अधिकारी, राजस्थान।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(डा.पी.एस.दुत्तड)
उप निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur